राजस्थान सरकार

चिकित्सका शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प0 1(1)एमई / ग्रुप–1 / 13 जयपुर, दिनांक : 20 FEB 2020

आदेश

ई.एन.टी. विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में (वर्ष 2019–20) डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 खख के उप नियम–5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 13.09.2019 को बैठक आयोजित की गई थी। कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग से तत्समय प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. पायल मित्तल, सहायक आचार्य, ई.एन.टी. विभाग के विरूद्ध सीसीए नियम–1958 के नियम–16 की कार्यवाही लम्बित होने के कारण डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डॉ. मित्तल की सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा बंद लिफाफे में रखी गई। कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग से वर्तमान में प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. मित्तल के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर सीसीए नियम–1958 के नियम–16 के अंतर्गत संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। फलस्वरूप डॉ. मित्तल के विरूद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है। इस कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा का सीलबन्द लिफाफा नियमानुसार खोला गया। कमेटी द्वारा डॉ. मित्तल को सह आचार्य के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंषा की गई है।

अतः डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर डॉ. मित्तल को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति उपरान्त डॉ. मित्तल अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगीः–

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि	पदोन्नति वर्ष
1.	डॉ. पायल मित्तल	सहायक आचार्य, ई.एन.टी.	सह आचार्य, ई.एन.टी.	01.04.2019	2019–20

आज्ञा से

20.02.2020

(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा / जयपुर / अजमेर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
7. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(शिव शंकर अग्रवाल)

सहायक शासन सचिव